Pak Spies amongst unauthorised Migrants from Bangladesh

1344. SHRI VARKEY GEORGE: Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether any Pakistani spies were traced amongst the unauthorised migrants from Bangladesh crossing into Indian borders; and

(b) if so, the number thereof and the action taken by Government against them?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI F. H MOHSIN): (a) and (b). The information is being collected and will be laid on the Table of the House.

Effect of shortage of Yarn on Tyre Industry in Orissa

1345. SHRI ANADI CHARAN DAS:

SHRI P. GANGADEB:

Will the Minister of INDUSTRY AND CIVIL SUPPLIES be pleased to state:

(a) whether the tyre industries in Orissa have been badly affected by shortage of yarn recently; and

(b) if so, the action taken in this regard?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INDUSTRY AND CIVIL SUPPLIES (SHRI B. P. MAURYA): (a) and (b). There is no unit manufacturing automobile tyres and tubes in Orissa State.

उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में प्रयुक्त भाषा

1346. **श्री विभूति मिश्र** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हमारी स्वतंत्रता के 27 वर्ष बाद भी विभिन्न उच्च न्यायालयों और उच्चतम न्यायालय की भाषा अंग्रेजी ही चल रही है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का उक्त न्यायालयों में हिन्दी अथवा प्रादेशिक भाषाओं का प्रयोग किये जाने के बारे में एक तिथि निर्धारित करने का विचार है ; और

(ग) यदि हां, तो उसका स्वरूप क्या है ?

गृह मंत्रालय, कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री ओम मेहता) : (क) संविधान के अनुच्छेद 348(2) तथा राज भाषा अधिनियम, 1963 की धारा 7 के अधीन राज्य का राज्यपाल राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से उस राज्य के लिये उच्च न्यायालय की कार्यवाही में अथवा उच्च न्यायालय द्वारा दिये गये अथवा पारित किसी निर्णय, डिगरी अथवा आदेश के प्रयोजन के लिये अंग्रेजी भाषा के अतिरिक्त हिन्दी अथवा उस राज्य की राजभाषा के प्रयोग का अधिकार दे सकता है । अतः संविधान तथा राजभाषा अधिनियम, 1963 के उपरोक्त उपबन्धों के अधीन उच्च न्यायालयों में हिन्दी अथवा क्षेत्रीय भाषाओं के प्रयोग के लिये राज्य सरकारों को स्वयं पहल करनी है । केन्द्रीय सरकार केवल उस समय बीच में आती है जब संविधान तथा राजभाषा अधिनियम के उक्त उपबन्धों के अन्तर्गत राष्ट्रपति की पूर्व सहमति लेने का प्रश्न उठता है ।

राष्ट्रपति ने इलाहाबाद, पटना, राजस्थान और मध्य प्रदेश के उच्च न्यायालयों में हिन्दी के वैकल्पिक प्रयोग की अनुमति प्रदान कर दी है । किन्तु जहां कोई पारित अथवा दिया गया निर्णय, डिगरी अथवा आदेज हिन्दी में